

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक / रीडर / 2025 / 3702

दिनांक 06/10/2025

उपवानी प्रकरण - दनुमान सिंह बनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या:- 186 / 2025

:- दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयानुगत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक
.....05/भूअ./2025 दिनांक 29/09/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम रैरा पटवारी हल्का रैरा
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमे खाता संख्या 306/258/259 के खातेदार मुकेश
कंवर पी. के स्थान पर मुकेश चंदर पुत्री अंकिता सिंह का
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का रैरा
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

38
(अनिल कुमार) सी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक / रीडर / 2025 / 3703-04

दिनांक 06/10/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।

2. पटवारी हल्का रैरा तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

38
(अनिल कुमार) सी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)